भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1556

सोमवार, 9 फ़रवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक)

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु ईएसआई सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए वेतन सीमा

†1556.: **श्री एम. के. राघवन:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अस्पतालों/औषधालयों में चिकित्सा उपचार का लाभ उठाने के लिए असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वेतन सीमा को 21,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी विशेषज्ञ समिति या स्टेकहोल्डरों ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के वेतन की सीमा में वृद्धि करने की सिफारिश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार विशेष रूप से बागान क्षेत्र में बड़ी संख्या में कामगारों की उपस्थिति के कारण इडुक्की के नेदुनकांडम और कुमिली में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों की स्थापना करने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): सरकार ने सभी कर्मचारियों और कामगारों चाहे वे संगठित क्षेत्र में हों या असंगठित क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में हों, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता,(सीओएसएस) 2020 अधिनियमित की है। हालांकि, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का अध्याय IV, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से संबंधित है, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की प्रथम अनुसूची के साथ पठित धारा 2(29) के तहत परिभाषित ऐसे प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू होगा, जिसमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। तदनुसार, ईएसआई योजना के अधीन वेतन सीमा संगठित क्षेत्र पर लागू होती है।

जारी–2/--

वेतन सीमा में समय-समय पर आवधिक रूप से संशोधन किया जाता है। ईएसआई योजना के तहत कवरेज के लिए वेतन सीमा में अंतिम संशोधन दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी किया गया था, जिसमें वेतन सीमा को 15,000/- रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 21,000/-रुपये प्रति माह किया गया था।

(घ) और (ङ): ईएसआई औषधालयों की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), अपने मानदंडों के अनुसार, किसी क्षेत्र में बीमित व्यक्तियों (आईपी) की जनसंख्या के आधार पर नए ईएसआई औषधालयों की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान करता है। इन मानदंडों के अनुसार, दो चिकित्सकों वाले औषधालय की स्थापना के लिए, 8 किमी के दायरे में, अगले तीन वर्षों में न्यूनतम 3,000 बीमित व्यक्ति (आईपी)/प्रक्षेपित बीमित व्यक्ति होना अपेक्षित है। पहाड़ी क्षेत्रों में, यह न्यूनतम आवश्यकता 2,000 बीमित व्यक्ति/प्रक्षेपित बीमित व्यक्ति है।

नेदुनकांदम और कुमिली के जलग्रहण क्षेत्रों में वर्तमान बीमित व्यक्ति-जनसंख्या अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं करती है। तदनुसार, इन स्थानों पर वर्तमान में ईएसआई औषधालय स्थापित करना व्यवहार्य नहीं है। हालांकि, केरल के इडुक्की जिले में 03 ईएसआई औषधालय यथा कट्टप्पना, थोडुपुझा, कन्नान देवन हिल्स और मुन्नार में 01 औषधालय-सह-शाखा कार्यालय पहले से ही संचालित हैं।

******